उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका संख्या. 1883 (MS) वर्ष 2008

सरकारी अधिकारी, सहकारी आवास समिति और अन्य

.....

.याचिकाकर्ता

प्रति

उत्तराखंड राज्य व अन्य ..... प्रत्यर्थी

अधिवक्तागण :

याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण : विद्वान अधिवक्ता श्री ललित बेलवाल

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण : श्री एम. एस. बिष्ट, वाद धारक, उत्तराखंड राज्य/प्रतियर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से, श्री आर. एस. सम्मल, प्रतियर्थी संख्या 4 की ओर से

माननीय आलोक सिंह जे.

दिनांक 18.02.1957 को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्लाट नंबर 249 क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ याची समिति को पट्टे पर दिया गया था। इस भूमि में उद्यान के लिए स्थान भी छोड़ा गया था। राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांकित 22 . 04 . 2006 द्वारा इस उद्यान का पट्टा प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में प्रदान किया गया । उपरोक्त से व्यथित हो कर, याचिकर्ता द्वारा इस न्यायलय में याचिका संस्थित की गयी।

2. याचिका कर्ता के श्री ललित बेलवा,उत्तराखंड राज्य की ओर से सक्षिप्त धारक अधिवक्ता श्री एम एस बिष्ट , तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एस समल को सुना।

3. प्रत्यर्थी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री आर. एस समल द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गए की प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा कथित पट्टे की भूमि पर सांस्कृतिक क्रियाकलापों का संचालन किया जा रहा है तथा उसे व्यक्तिगत कार्यो के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा इस भूमि का प्रयोग सामाजिक व धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

4 . माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य (2011) 11 SCC 396 की चरण संख्या 3 , 4 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 तथा 20 में यह प्रतिपादित किया गया है कि -

> 3.ग्रामीणों के आम अधिकारों की सुरक्षा इतने उत्साह से की गयी थी कि कुछ कानूनों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि राज्य के पास संपत्ति निहित होने का मतलब यह नहीं है कि इस तरह से निहित होने से ग्रामीणों के सामान्य अधिकार खो गए थे। इस प्रकार चिंगरूपति वेंकट सुबाईया बनाम पलादुगे अंजया 1972 (1) scc 521 (529) में इस न्यायलय द्वारा यह पाया गया कि :
>
> "यह सत्य है कि सम्पदा उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 के दृष्टिगत वादग्रस्त संपत्ति सरकार में निहित हो गयी है। परन्तु इसका अपने आप में यह मतलब नहीं है कि भूमि पर से समुदाय के अधिकार छीन लिए गए हैं। हमारा ध्यान ऐसे किसी भी प्रावधान की ओर आकर्षित नहीं किया गया है जिसके तहत उन भूमि पर से समुदाय के अधिकारों को छीन लिया जाना कहा जा सके

वादग्रस्त भूमियों पर समुदाय के अधिकार भूमिधारकों द्वारा सृजित नहीं किये गए थे। अतः उन अधिकारों को सम्पदा उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 (ग) के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता।

4. हालांकि, हमने स्वतंत्रता के बाद से जो देखा है, वह यह है कि देश के बढे हिस्सों में इन सार्वजनिक ग्रामीण भूमियों को बेईमान व्यक्तियों द्वारा बाहुबल, धन व राजनीतिक रसूख का प्रयोग कर के हड़प लिया है और कई राज्यों में अब एक इंच भी ऐसी भूमि गाँव के लोगो के सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं बची है, भले ही ऐसी भूमि दस्तावेजों पर मौजूद हो। पूरे भारत में गावों में सत्ता और संपत्ति वाले व्यक्तियों ने व्यवस्थित रूप से सांप्रदायिक भूमि पर अतिक्रमण किया और ग्राम समुदाय की कीमत पर व्यग्तिगत उन्नति के लिए, इसके मूल चरित्र के साथ पूरी तरह से असंगत उपयोग किया। यह राज्य के अधिकारियों और स्थानीय शक्तिशाली निहित हित तथा गुंडो की सक्रिय मिली भगत से किया गया था। यह अपील इस देयनीये स्थिति का एक ज्वलंत उदहारण है।

.....

15. न्याय निर्णय एम. आई. बिल्डर्स (पी) लिमिटेड बनाम राधे श्याम साहू 1999 (6) scc 464 में सर्वोच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रूपए से अधिक की लागत से निर्मित एक शॉपिंग काम्प्लेक्स को विध्वंस के बाद एक पार्क के पुनः स्थापन का आदेश पारित किया था।

16 . न्याय निर्णय फ्रेंड्स कॉलोनी डेवलपमेंट समिति बनाम ओड़िशा राज्य , 2004 (8) scc 733 में इस न्यायलय द्वारा यह अवधारित किया गया कि जहाँ विधि गैर स्वीकृत निर्माणों के शमन की अनुमति प्रदान करता है , वहां भी ऐसा शमन एक अपवाद के रूप में होना चाहिए। हमारी राय में यह निर्णय गाँव की सार्वजानिक भूमि के अतिक्रमण के मामलों में और भी अधिक प्रभाव के साथ लागू होगा। आम तौर पर, ऐसे मामलो में शमन की अनुमति केवल वही दी जनि चाहिए जहाँ'भूमि भूमिहीन मजदूरों व अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पट्टे पर दी गयी हो, या भूमि वास्तव में गाँव के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जा रही हो , उदहारण के लिए ग्रामीणों के लिए स्कूल चलाना या उनके लिए औषधालय चलाना।

17. कई राज्यो मे राज्य सरकार द्वारा निजी व्यक्तियो और व्यवसायिक उद्यमों को कुछ पैसे के भुगतान पर ग्रामसभा भूमि के आबंटन कि अनुमति देने के सरकारी आदेश पारित किये गये है । हमारी राय मे ऐसे सभी सरकारी आदेश अवैध है और उनकी उपेक्षा कि जानी चाहिए ।

18.वर्तमान मामला गाँव के तालाब के रुप मे दर्ज भूमि का मामला है । इस न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय हिंच लाल तिवारी बनाम कमला देवी एआई.आर 2001 एस सी 3215 (जिसका मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एल.कृष्नन बनाम तमिलनाडू राज्य 2005(4) सी टी सी 1 मद्रास मे अनुसरण किया गया) मे

अवधारित किया गया कि तलाब के रूप मे दर्ज भूमि को मकान निर्माण या उससे संबंधित प्रयोजनो हेतु आबंटित किये जाने की अनुमति प्रदान नही कि जानी चाहिए। न्यायालय द्वारा आँठ प्रतिवादीयो को मकान की सामग्री ले जाने के उपरान्त अवैध रूप से कब्जा की भूमि को खाली करने का आदेश दिया । हमारे द्वारा भी इस मामले मे ऐसा ही आदेश पारित किया जा रहा है

19. इस संबंध मे हम कहना चाहते है कि हमारे पूर्वज मूर्ख नही थे । वह जानते थे कि कुछ सालो मे सूखा पढ़ सकता या किसी अन्य कारण से पानी की कमी हो सकती है और पशुओ को भी पीने और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है इसलिए उन्होने हर गाँव से जुड़ा एक तालाब, हर मंदिर से जुडा एक टैंक बनाया । यह उन्के पारंपरिक वर्षा जल संचयन के तरिके थे जो हजारो वर्षो तक उन्के काम आये ।

20. हालाकि पिछले कुछ दशको मे, हमारे देश मे इनमे से अधिकांश तालाब लालची व्यक्तियों द्वारा मिट्टी से भरकर निर्माण कर लिये गये है, जिससे उनका मूल चरित्र नष्ट हो गया है । इसने देश मे पानी की कमी मे योगदान दिया है । साथ ही कई तालाबो को पंचायत अधिकारीयो/ग्राम मत्स्य पालको की मिलीभगत से औने पौने दामो पर व्यपारीयो को निलाम कर दि जाती है । निलामी से एकत्रित धन का उपयोग ग्रामीणो के सामान्य लाभ हेतु ना करते हुए कुछ व्यक्तियों द्वारा गबन कर लिया जाता है । समय आ गया है कि यह कदाचार बंद किया जाना चाहिए ।

5. जगपाल सिंह (सुपरा) के मामले मे मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार समुदाय के लिए आरक्षित भूमि जैसे सार्वजनिक मार्ग पार्क, गाँव का तालाब, चारागाह आदि को राज्य सरकार या ग्रामसभा द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए आबंटित किये जाने कि अनुमति प्रदान नही कि जानी चाहिए और समुदाय को उस भूमि का बढे पैमाने पर उपयोग करने से वंचित नही किया जाना चाहिए जो उन्के प्रयोजनो के लिए ही आरक्षित थी ।

6. उपरोक्त के दृष्टिगत रिट याचिका सफल होती है तथा स्वीकार की जाती है । राज्य सरकार द्वारा पारित शासनादेश दिनांकित 22/04/2006 को निरस्त किया जाता है ।परिणाम अनुकरण हों। व्यय हेतु कोई आदेश नहीं।

(आलोक सिंह जे.)
29.10.2018